संख्या-17/362/58-1-2026/ 54-2009(099)/2/2024 (1857399),

प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 12.02.2026

विषय:- नव-नियुक्त 2536 मुख्य सेविकाओं को भौतिक रूप से कार्य प्रशिक्षण (Job Training) प्रशिक्षण कार्यकम हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण एवं मुख्य सेविकाओं के प्रशिक्षण हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष उपलब्ध बजट से धनराशि 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) के अग्रिम भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-752/बा0वि0परि0/प्रशिक्षण/2025-26, दिनांक 30-01-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.11.2017 में 11.17 के बिन्दु संख्या-3(बी) से स्पष्ट है कि सरकारी एजेन्सी को 40 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। अतएव प्रशिक्षण हेतु आकलित की गयी धनराशि रू0-250.00 लाख का 40 प्रतिशत धनराशि रू0 100.00 लाख होता है।

उक्त के क्रम में नवनियुक्त 2536 मुख्य सेविकाओं के भौतिक रूप से कार्य प्रशिक्षण (Job Training) हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण एवं मुख्य सेविकाओं के प्रशिक्षण सत्र हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 49 अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-0300-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के मानक मद 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में प्राविधानित बजट के सापेक्ष उपलब्ध बजट से धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) का अग्रिम भुगतान उद्यमिता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश, सरोजनी नगर लखनऊ को भुगतान किये जाने की स्वीकृति/सहमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15.11.2017, शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10.06.2011 तथा शासनादेश दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का नियमानुसार यथाशीघ्र समायोजन वित्तीय वर्ष 2025-26 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा ।

(5) वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत की गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा अवश्य कर लिया जायेगा ।

(6) इस सम्बंध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेशों में निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(7) इस सम्बंध में योजना की गाइडलाइन्स एवं सुसंगत नियमों के अनुसार कारवाई सुनिश्चित की जायेगी।

(8) पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा ।

(9) समस्त अग्रिम का समायोजन 31.03.2026 तक अवश्य कराया जायेगा ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 49 अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-0300-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के मानक मद 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय" के नामे डाला जाएगा तथा उक्त अग्रिम का भुगतान योजनान्तर्गत खोले गये सुसंगत एसएन.ए. खाते में उपलब्ध/स्थानान्तरित धनराशि से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदान की सहमति के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। अवशेष धनराशि के भुगतान के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही स्व-स्तर से करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या-17 /362**(1)/58-1-**2026**/ 54-2009(099)/2/2024 (1857399), तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1 ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (लेखा) अनुभाग-1 ।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
7. खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।